भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 06/03/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 17 मार्च, 2026

मामला संख्या -एडी(ओआई)-03/2026
सेतु मामला संख्या -एडी/ओई/004/2026

<u>जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना</u>

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "किसी संकेन्द्रण में एथिल क्लोरोफॉर्मेट्स (ईसीएफ)" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा.सं. 6/03/2026-डीजीटीआर**: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स पौशक लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने "एथिल क्लोरोफॉर्मेट" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. वर्तमान आवेदन में चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की मांग की गई थी। हालांकि, डीजी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों की जांच करने पर, क्षति की अवधि और जांच की अवधि दोनों के दौरान हांगकांग से संबद्ध वस्तुओं के आयात की कोई मौजूदगी नहीं देखी गई है। अत:, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में चीन जन.गण. को संबद्ध देश माना है।

3. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात से वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. **<u>विचाराधीन उत्पाद</u>**

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "किसी संकेन्द्रण में एथिल क्लोरोफॉर्मेट्स (ईसीएफ)" है।

5. ईसीएफ एक आर्गेनिक रसायनिक मिश्रण है। यह बहुत अधिक गंध वाला एक रंगहीन, गतिशील तरल पदार्थ है। एथिल क्लोरोफॉर्मेट्स का फार्मास्युटिकल और एग्रो केमिकल उद्योगों में आर्गेनिक रासायनिक मध्यवर्ती में एक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग होता है। यह क्लोरोफार्मेट्स वर्ग का है और इसमें ईस्टर और क्लोरो दोनों कार्यात्मक समूह शामिल हैं, जो इसे अत्यधिक प्रतिक्रियावादी बनाता है। इसके जंग और नशीले प्रकृति के होने के कारण, एथिल क्लोरोफॉर्मेट्स का वर्गीकरण श्वसन, इंजेशन और चर्म संपर्क के माध्यम से खतरा उत्पन्न करने वाले खतरनाक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

<u>माप की इकाई</u>

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) या किलोग्राम (केजी) है।

<u>प्रशुल्क वर्गीकरण</u>

7. आवेदक ने सूचित किया है कि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का कोई समर्पित एचएस कोड नहीं है। उत्पाद वर्तमान में सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत विभिन्न प्रशुल्क शीर्ष के तहत विशेष रूप से उप-शीर्ष 2915 12 90 के तहत आयात किया जाता है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद को कोड 2915 13 00 और 2915 90 99 के तहत भी आयात किया गया है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक ने अपने आवेदन में किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार जांच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने के परिचालन के 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यात की गई वस्तु में कोई अधिक अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान माना वस्तु के रूप में माना है।

ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश **चीन जन.गण.** है।

घ. <u>जांच की अवधि</u>

11. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच (जिसे इसके बाद "पीओआई" कहा गया है) के लिए **1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025** (12 माह) की अवधि को जांच की अवधि ("पीओआई") के रूप में माना है। क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ङ. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

12. आवेदन मेसर्स पौशक लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों से संबंधित नहीं हैं। आवेदक ने अनुरोध किया है कि वे एकमात्र घरेलू उत्पादक हैं और भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन में 100% हिस्सा रखते हैं। इसलिए, आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के तहत आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. <u>कथित पाटन का आधार</u>

क) **चीन के लिए सामान्य मूल्य**

13. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध-I के नियम-7 के संदर्भ में सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमालवी के अनुंबध-I के पैरा 8 (2) का हवाला दिया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) के संदर्भ में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। हालाँकि, आवेदक को किसी तीसरे देश में बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या लागत की जानकारी के संबंध में विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल सकी। इसलिए, उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए विधिवत् समायोजित आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया गया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से इस पर विचार किया गया है।

ख) निर्यात कीमत

15. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, सार-संभाल प्रभार, बंदरगाह खर्चे, अंतर्देशीय प्रभार, कमीशन, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं।

ग) पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* दर्शाता है कि पाटन मार्जिन *न्यूनतम स्तर* से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति के साक्ष्य और कारणात्मक संबंध

17. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रदान किया है। संबद्ध देश से संबद्ध आयात की मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही रूप में बढ़ी है। आयात के कारण कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का साक्ष्य है। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

18. पूर्वोक्त से, प्राधिकारी को *प्रथम दृष्टया* संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य रहता है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

19. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग में पाटन और परिणामी क्षति सिद्ध करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करके, एतद्द्वारा तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार घरेलू उद्योग में तथाकथित पाटन और परिणामी वास्तविक क्षति के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

झ. प्रक्रिया

20. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारो से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम

और तद्नुरूपी मामला आईडी एडी/ओई/004/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर पूरी संगत सूचना दायर कर सकें। यह सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित किए गए अनुसार स्वरूप और तरीके से दायर की जानी चाहिएं।

23. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस आरंभिक अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी प्रस्तुति दे सकता है, बशर्ते कि यह प्रस्तुति इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर हो।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

25. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov. को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी ID – AD/OI/ 004/2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए।

27. प्रत्येक अनुरोधों के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते है।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

29. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 27 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

30. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करते है, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

31. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

33. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

34. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना" माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों

का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

37. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

38. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

39. नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

40. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ढ. <u>असहयोग</u>

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी